19/9/21 पत्रावली हेतु वकील वादी पक्ष द्वारा
की आदेश दिनांक 27/8/21 की पालना
में पुनः अवसर चाहा। अवसर दिया
गया। पेश दिनांक 10/10/21 के पश्चात हो।
[illegible]

10/10/21 पत्रावली वकील उभय पक्ष द्वारा पत्रावली
प्रतिदिनांक दि. 18/11/22 को पेश हो।
[illegible]

19/11 पत्रावली पेश हुई। आज [illegible]
[illegible] स्थगित कर रखा है। [illegible]
पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/3/22 को पेश हो।

29/03/2022 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष
द्वारा [illegible] T.I. पर पुनः अवसर चाहा।
न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है।
अगले अवसर [illegible] पत्रावली
दि० 29/04/2022 को पेश हो।
[illegible]

29/4/22 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/[illegible]
[illegible] तीन अतिरिक्त गवाह/अन्य [illegible]
[illegible] पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
[illegible] 30/5/22 को पेश हो।

30/06/2022 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष
द्वारा बहस T.I. पर। वकील उभयपक्ष
द्वारा वादी/वकील वादी व प्रतिवादी
ने अपने प्रा० पत्र व जवाब प्रा० पत्र में
अंकित तथ्यों के मद्देनजर इसे क्रमशः अतिरिक्त
मौखिक साक्ष्य निर्धारण के पालन करने व वकील
प्रतिवादी के प्रा० पत्र खारिज करने का निर्णय
लिया।

सरबरक

पत्रावली अवलोकन किया। अभि
पत्र कागजात मनन किया। प्रार्थी व
अप्रार्थिगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार
खातेदार है व मूल वाद बंटवारे सम्बन्धी
आता अन्य पक्षकारान को मूल
वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त
भूमि का किसी भी तरीके से
अन्तरण नहीं करने के लिये पाबन्द
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से कर दी। दाखिल दफ्तर
की। नियमित रूपे न्यायालय के
सुनाया गया।

अभिभाषक संघ, सीकर